उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 11.08.04 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.08.04 को अपराह्न 3.00 बजे बोर्ड की अध्यक्षा एवं प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में वन एवं ग्राम्य विकास, सभागार में सम्पन्न हुई । निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया:-

1. श्रीमती विभा पुरी दास, अध्यक्षा, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त/पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. श्री सी.वी.एस. नेगी, सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
5. श्री एस.पी. सुबुद्धि, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. श्री नवीन चन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
7. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, देहरादून।
8. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्री अनुराग वर्मा, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
10. श्री भजन सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
11. श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
12. श्री पी.एस. रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार ।
13. श्री एन.के. जोशी, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
14. श्रीमती ऊषा चौधरी, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।

अध्यक्ष महोदया द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत तथा परिचय प्राप्त किया गया । तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये :-

क्र.सं.	विषय	निर्णय
1.	तृतीय बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	बोर्ड के पत्र संख्याः यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./तृतीय बोर्ड बैठक/04/1038 दिनांक 13.05.04 द्वारा तृतीय बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्यों को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। बोर्ड सदस्यों की ओर से टिप्पणी प्राप्त न होने की दशा में कार्यवृत्त अनुमोदित समझा गया।
2.	तृतीय बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या।	• जल व वायु नियमावली तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये गये हैं जो कि वर्तमान में न्याय विभाग को विधिक्षीत किये जाने हेतु प्रेषित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदया द्वारा अगली कैबिनेट बैठक में जल व वायु नियमावली- 2004 के अनुमोदन हेतु सचिव पर्यावरण को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। • तृतीय बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बोर्ड के पुनर्गठन हेतु सचिव पर्यावरण द्वारा उचित कार्यवाही की जाये।

3.	बोर्ड में जल व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अनुपालन हेतु चार्टर्ड इंजीनियरों के पंजीकरण की योजना लागू करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के [illegible] उत्तरांचल की भौगोलिक [illegible] रखते हुए मानक निर्धारित [illegible] चार्टर्ड इंजीनियर्स के आवेदन [illegible] एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन [illegible]
4.	अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्क का प्राविधान करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया
5.	उद्योगों की जल व वायु सहमति अस्वीकृत होने के उपरान्त प्रारम्भिक शुल्क के साथ आवेदन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ [illegible] पूर्व से स्थापित उद्योगों के लिये ही [illegible] जाये।
6.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योगों/संस्थाओं द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों हेतु पर्यावरण पुरस्कार योजना लागू करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
7.	आई.डी.एफ.सी. द्वारा तैयार ड्राफ्ट स्टेट ऑफ इन्वायरन्मेंट रिपोर्ट हेतु रू0 6.20 लाख का आई.डी.एफ.सी. को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
8.	बोर्ड की वर्ष 2003–04 हेतु बैलेंस शीट का अनुमोदन।	बोर्ड द्वारा बैलेंस शीट का अनु[illegible]
9.	बोर्ड की सेवा नियमावली का अनुमोदन।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ [illegible] कि सेव नियमावली को शासन की [illegible] से पू विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका [illegible] जाये अध्यक्ष महोदया के अनुमोदन [illegible] में वित्त विधि एवं कार्मिक विशेषज्ञों को [illegible] जाये।
10.	संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की समयावधि बढ़ाने एवं दिये जा रहे वेतन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत [illegible] कि संविद पर कार्यरत कार्मिकों के साथ [illegible] अनुबन्ध किर जाये । इस अनुबन्ध को 01 सितम्बर [illegible] से लागू किर जाये।
11.	बोर्ड में कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारियों के आवास पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के स्थान पर बी.एस.एन.एल. मोबाइल टेलीफोन सुविधा अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
12.	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय। • बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय खोले जाने तथा अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव संशोधित करते हुए [illegible] हरिद्वार ए ऊधमसिंहनगर में जिला कार्यालय खोले जाने हेतु बो द्वारा स्वीकृति पदान की गयी। इस प्रकार बोर्ड के लि 101 पदों का ढांचा स्वीकृत किया गया।

• महंगाई भत्ते की दर 61 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि भविष्य में शासन द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यवाही की जाये।
• ISO 14001 प्रमाणित संतरी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों के नियमित निरीक्षण से छूट के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि जिन उद्योगों द्वारा बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति पत्र में दी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, उनसे आरंभिक शुल्क की दुगुनी राशि वसूल की जाये।
• बोर्ड द्वारा उत्तरांचल की पर्यावरणीय स्थिति पर त्रैमासिक बुलेटिन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि त्रैमासिक बुलेटिन प्रारम्भ किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाये जिसमें विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाये। त्रैमासिक बुलेटिन रिसाईकिल्ड पेपर पर प्रकाशित किया जाये।
• भंडारी बाग स्थित प्लास्टिक एकत्रण एवं पृथक्करण केन्द्र की चार दीवारी कराने के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून द्वारा चार दीवारी में निर्माण कार्य हेतु सहमति दी गयी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 25 अगस्त, 2004 तक चार दीवारी निर्माण का कार्य शुरू हो जायेगा।
• बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये क्षमता विस्तारीकरण कर लेने वाले उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।	दोषी उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये तथा औद्योगिक विभाग/इंडस्ट्री एसोसियेशन को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।
• बोर्ड के कार्यो की त्रैमासिक प्रगति आख्या ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
• बोर्ड की वर्ष 2003–2004 की आडिटिड बैंलेश शीट।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

बोर्ड बैठक के अंत में आई.डी.एफ.सी. द्वारा स्टेट ऑफ इन्वायरन्मेंट रिपोर्ट का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्य महानुभावों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

12/8

(सी.बी.एस. नेगी)
सदस्य सचिव
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(विभा पुरी दास)
अध्यक्षा
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून